Maharana Pratap University of Agriculture & Technology,Udaipur-313 001
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,उदयपुर–313 001

क्रमांक– 02/2023 दिनांक – 14.07.2023

विज्ञप्ति

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए योग्यताधारी अभ्यर्थियों से निम्न पदों पर आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते है। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है –

क्र. सं.	पद	पदों की संख्या	सामान्य				पिछडा वर्ग				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अति पिछडा वर्ग				आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग			
				महिला				महिला				महिला				महिला				महिला				महिला		
			सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता
गैर–अनुसूचित क्षेत्र																										
1	सहायक अभियन्ता (सिविल)	1					1																			
2	सहायक कुल सचिव	4	1	1							1				1											

नोट –

1. उक्त पदों में बेकलोग रिक्तियां भी सम्मिलित है।
2. गैर–अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेगें।
3. उपरोक्त सारणी में राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये दर्शाए गए सभी आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्ही भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इन आरक्षित रिक्तियों को अग्रणित किया जाएगा।
4. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
5. राजस्थान राज्य से भिन्न, देश के अन्य राज्यों के अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अ.पि.व./आ.क.व. अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में विशेष योग्यजन (निःशक्तजन), भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रुप से होगा परन्तु जिस प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उसे सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसके वे अभ्यर्थी है, उसे उस ही प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा, जिसमें से 8 प्रतिशत विधवा महिला अभ्यर्थियों तथा 2 प्रतिशत परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा।
7. किसी वर्ग (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग) के पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर–परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपनी पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विछिन्न विवाह की माननीय न्यायालय से जारी डिक्री प्रस्तुत करनी होगी।

8. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा टी.एस.पी. क्षेत्र का प्रमाण–पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात् का जारी किया हुआ होना चाहिए।
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
11. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।
12. राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
13. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिए
    a. राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2020 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निःशक्तजन श्रेणी में 4 प्रतिशत उक्त पदों हेतु आरक्षण का लाभ देय है।
    b. विशेष योग्यजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रुप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग) का होगा उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
    c. उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारो का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2018 के अनुसार भरा जावेगा।

14. उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधानः कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 5(31)डीओपी/ए–II/84 दिनांक 15.03.2013 के तहत किये गये संशोधन के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाडी" की योग्यता निर्धारित की जायेगी। उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(31)डीओपी/ए–II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार देय होगा।

15. विज्ञापन जारी होने के उपरांत विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। उपरोक्त रिक्तियों को भरने या नहीं भरने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.सं.	पद	शैक्षणिक योग्यता
1	सहायक अभियन्ता (सिविल)	B.E./B.Tech. (Civil) from a recognized University.
2	सहायक कुल सचिव	Masters or an equivalent degree in first or second division with 5 years office or teaching experience. NOTE – A person already working in this University, who does not possess a Post Graduate Degree but is graduate could be considered for the post of Assistant Registrar, provided that such a person possess, atleast 6 years experience of office, administration involving supervision, planning and control.

विवाह पंजीयन – राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

अन्य योग्यताएँ :–

1. **स्वास्थ्य :–** उक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।
2. **चरित्र :–** सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उक्त पदों पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कुल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन–पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हों और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुए नहीं हो।

नियुक्ति के लिये अयोग्यता :–

1. किसी भी ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। **किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि विश्वविद्यालय संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।**
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। **किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि विश्वविद्यालय संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।**
3. किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा यदि अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट, 1961 (सेन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है।
4. राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर पाऐंगे।
5. ऐसा कोई भी अभ्यार्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती।

परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

अनुचित साधनों की रोकथाम :–

परीक्षार्थी को विभाग/केन्द्राधिक्षक/अभिजागर (Invigilator) अथवा विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों को प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध विभाग/केन्द्राधीक्षक, जो उचित समझे, कार्यवाही कर सकता है तथा ऐसे परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

वेतनमान :–

राज्य सरकार के नियमानुसार चयनित व्यक्तियों को 2 वर्ष की परिवीक्षा काल में रखा जावेगा जिसके दौरान मासिक पारिश्रमिक देय होगा। उन्हे कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। परिवीक्षा अवधि संतोषपूर्वक पूर्ण करने पर सातवें वेतनमान के अनुसार निम्न वेतन निर्धारित किया जायेगा। परिवीक्षा काल के दौरान पद छोड कर नहीं जाने का नियमानुसार बॉड भरा जाएगा।

1	सहायक अभियन्ता (सिविल)	Pay Matrix L-14
2	सहायक कुल सचिव	Pay Matrix L-14

आवेदन करने की अंतिम तिथि :– 17.08.2023 **मध्य रात्रि 12:00 तक**

- परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से भरे जाने है। कोई भी आवेदक इस हेतु वेबसाईट **www.rcaudaipur.com** पर निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकते है।
- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वेबसाईट **www.rcaudaipur.com** पर उपलब्ध रहेगी।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 17.07.2023 से 17.08.2023 के मध्य रात्रि 12:00 तक भरे जा सकते है और इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन की प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करनी है।

निर्धारित समयावधि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

विशेष :–

- आवेदक को आवेदन, परीक्षा प्रवेश संबंधी एवं अन्य सूचनाएं वेबसाईट **www.rcaudaipur.com** के माध्यम से सूचित की जायेगी।
- यदि कोई आवेदक आवेदन में उल्लेखित सूचना के आधार पर उपरोक्त पद के लिए उल्लेखित अर्हताओं की पूर्ति नहीं करता है तो परीक्षा के लिए अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त योग्य होगा तथा ऐसे आवेदकों को उनके द्वारा जमा कराया गया परीक्षा शुल्क, जिसमें आवेदन शुल्क सम्मिलित है, प्रतिदाय (Refund) नहीं किया जायेगा।
- किसी तरह की कठिनाई/पूछताछ हेतु आवेदक हेल्पलाईन नम्बर 0294–2471302 पर सम्पर्क करें।
- भर्ती हेतु वेबसाईट **www.rcaudaipur.com** पर उपलब्ध सूचना से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते है।

परीक्षा योजना :

Assistant Engineer

1. Selections will be done on the merit of total marks, obtained by the applicants proportionately in Written Examination, Score-Card and Interview.
2. Applicants have to give written examination initially for further assessment.
   NOTE: - Candidate, who secures less than 40% marks in written examination will not be considered eligible for the post and will be removed from further assessment.
3. On the merit of marks proportionately obtained in the written examination and score-card, in the ratio of 60% and 20%, the candidate will be called for interview.
4. Shortlisting of the candidates will be done in the ratio of 1:10 for each post.
5. Overall Merit of candidates will be prepared after clubbing the marks obtained proportionately in written examination, score-card and interview in the ratio 60%, 20% and 20% respectively.
6. The approved score-card is enclosed.

NOTE: - Selected candidate will be eligible for Promotion as per University rules.

Assistant Registrar

1. Selection will be done on the basis of Written Examinations, Score-Card and Interview and the weightage of the written examination, score-card and interview will 60%, 20% and 20% respectively.
2. First the candidate will have to give written examination.
3. On the merit of marks obtained in the written examination and marks obtained in the score-card, the candidate will be called for interview.
4. The Statutory Selection Committee will evaluate the candidatureship on the basis of marks obtained in written exam, score-card and interview.
5. The written examinations would be conducted in two parts :-
   5.1 Part I : will consist of written test of 30 minutes duration and will be of 15 marks. It will be comprised of questions to test ability to draft in English and Hindi (Letter/Memo/Circular/Official Correspondence, etc.).
   5.2 Part II : will consist of written test of 90 minutes duration and will be of 45 marks. It will be comprised of multiple choice questions based on language proficiency in English & Hindi, General Knowedge, Analytical Ability, State Agricultural University System, MPUAT Act, Statutes & Ordinances, Office procedures, Filling, Noting, Financial Rules.
6. The weightage of score-card is enclosed.

परीक्षा का माह एवं स्थान :

1. लिखित परीक्षा की सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध करवाई जायेगी। इस हेतु कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा। आवेदक निरन्तर वेबसाईट का अवलोकन करते रहे।
2. लिखित परीक्षा उदयपुर में आयोजित की जाएगी। अभ्यार्थियों की संख्या के अनुरूप राज्य के अन्य सम्भागीय मुख्यालय पर परीक्षा आयोजित की जा सकती है।

परीक्षा शुल्क : आवेदक को अपनी श्रेणी के अनुरुप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क ऑनलाईन जमा करवाना होगा। परीक्षा शुल्क जमा नहीं होने पर आवेदन स्वीकृत नहीं होगा।

	पद	सामान्य / पि.व. /अ.पि.व /आ.क.व	अ. ज./अ. ज.जा./विशेष योग्यजन (राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी)
1	सहायक अभियन्ता (सिविल)	1600	800
2	सहायक कुल सचिव	1600	800

नोटः–

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/ आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के अभ्यार्थियों को सामान्य वर्ग का

अभ्यार्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदको को सामान्य अभ्यार्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।

2. **फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जायेगी।**
3. **फीस जिस श्रेणी की जमा कराई जाती है, अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जायेगा। बाद में अभ्यर्थी की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।**

प्रवेश पत्र : महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन प्रवेश पत्र जारी किये जायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा। विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.rcaudaipur.com** पर प्रवेश पत्र जारी किये जाने की सूचना उपलब्ध करवाई जायेगी। आवेदक User id व Password की सहायता से अपना प्रवेश पत्र वेबसाईट से प्राप्त कर सकेगा।

कुलसचिव

SCORE CARD FOR EVALUATING CANDIDATES FOR DIRECT RECRUITMENT TO ASSISTANT ENGINEER LEVEL

The marks will be awarded for various attributes (accomplishment/ Contribution/ Performance Indicator) as detailed below. Every section has a limit or maximum marks indicated in the column (C1) column. Various sub-items or further sub-items under various categories also have a capping or limit on maximum marks that can be earned as indicated in the column (C2). Wherever, no maximum marks are shown in Column (C2), the marks can be earned without maximum limit, subject to the maximum limit for the sub-item or the item.

S. No.		Attribute (Accomplishment/ Contribution/ Performance Indicator)	Marks allocated	Maximum Marks for	
				Item	Sub-Item
				(C1)	(C2)
1.		**Written Examination**		60	
2.		**Academic Background**		08	
		Secondary (X)			
		P >= 60% : 2.0 marks P >= 48% but less than 60% : 1.5 marks P < 48% : 1 marks			02
		Sr. Secondary (XII)			
		P >= 60% : 2.0 marks P >= 48% but less than 60% : 1.5 marks P < 48% : 1 marks			02
		Bachelor's degree			
		P >= 60% : 2.0 marks P >= 48% but less than 60% : 1.5 marks P < 48% : 1 marks			02
		Master's degree			
		P >= 60% : 2.0 marks P >= 48% but less than 60% : 1.5 marks P < 48% : 1 marks			02
3.		**Experience (1 marks / year subject to maximum 10 marks)**		10	
4.		**Recognitions and Awards (Only institutional awards would be counted) – 1 mark for each award**		02	
5.		**Interview**		20	
		Total		100	

NOTES:

1. Academic Background

(a) The marks for various academic examinations/ degree shall be awarded on pro-rata on the basis of the percentage obtained (*P*) in the particular examination/degree and Maximum Marks (*M*) assigned for that examination/degree, as per the following formula: "Marks = P x (M/100). However, zero marks shall be awarded if the percentage is less than the minimum required for eligibility as per the candidate's category.

(b) If the university/board gives grading instead of percentage, the equivalent percentage shall be as declared/ certified by the board/university and the certificate/declaration shall be compulsorily attached with the application. However, if the board/university does not declare equivalent percentage, the equivalent percentage in case of 4-point scale, 5-point scale, etc. shall be determined from the following formula: Equivalent Percentage "P = 9G/N" where, *G* is the Overall All Grade Point (OGPA) or Cumulative Grade Point Average (CGPA) obtained and *N* is the maximum of the grading scale. For SAUs following numerical grading similar to the one employed by MPUAT, the percentage shall be taken as OGPA multiplied by 10. However, for letter grading on a 10-point scale, it will be determined from "P = 10G - 7.5"

(c) If the university does not give an overall percentage/grade point of all years of a degree, then the average of all years/semesters shall be taken for computation of P or G in the above.

(d) Applicants who had studied under 11th Standard shall be marked for the same under the Sr. Secondary (XII) standard.

(e) Marks will be credited for only one degree at any particular level. For example, applicants having both B.Sc and B.Tech. degrees will be credited for B.Sc. or B.Tech. degree, whichever is relevant for the post advertised. Similarly marks will be credited for only one relevant post-graduation degree.

(f) If division is not awarded by a board/university then 60% shall be taken as first division.

REVISED GUIDELINES/SCORE CARD FOR EVALUATING CANDIDATES FOR DIRECT RECRUITMENT TO ASSISTANT REGISTRAR LEVEL

The marks will be awarded for various attributes (accomplishment/ Contribution/ Performance Indicator) as detailed below. Every section has a limit or maximum marks indicated in the column (C1) column. Various sub-items or further sub-items under various categories also have a capping or limit on maximum marks that can be earned as indicated in the column (C2). Wherever, no maximum marks are shown in Column (C2), the marks can be earned without maximum limit, subject to the maximum limit for the sub-item or the item.

S. No.		Attribute (Accomplishment/ Contribution/ Performance Indicator)	Marks allocated	Maximum Marks for Item	Maximum Marks for Sub-Item
				(C1)	(C2)
1.		**Written Examination**		60	
2.		**Academic Background**		08	
		Secondary (X) P >= 60% : 2.0 marks P >= 48% but less than 60% : 1.5 marks P < 48% : 1 marks			02
		Sr. Secondary (XII) P >= 60% : 2.0 marks P >= 48% but less than 60% : 1.5 marks P < 48% : 1 marks			02
		Bachelor's degree P >= 60% : 2.0 marks P >= 48% but less than 60% : 1.5 marks P < 48% : 1 marks			02
		Master's degree P >= 60% : 2.0 marks P >= 48% but less than 60% : 1.5 marks P < 48% : 1 marks			02
3.		**Experience (1 marks / year subject to maximum 5 marks)**		05	
4.		**University Experience (1 marks / year subject to maximum 5 marks) (it should be additional from experience stated at Sr. No. 3 above)**		05	
5.		**Knowledge of Computer (Only Institutional Certificate would be counted)**		01	
6.		**Recognitions and Awards (Only institutional awards would be counted)**		01	
7.		**Interview**		20	
		Total		100	

NOTES:

1. Academic Background

(a) The marks for various academic examinations/ degree shall be awarded on pro-rata on the basis of the percentage obtained (*P*) in the particular examination/degree and Maximum Marks (*M*) assigned for that examination/degree, as per the following formula: "Marks = P x (M/100). However, zero marks shall be awarded if the percentage is less than the minimum required for eligibility as per the candidate's category.

(b) If the university/board gives grading instead of percentage, the equivalent percentage shall be as declared/ certified by the board/university and the certificate/declaration shall be compulsorily attached with the application. However, if the board/university does not declare equivalent percentage, the equivalent percentage in case of 4-point scale, 5-point scale, etc. shall be determined from the following formula: Equivalent Percentage "P = 9G/N" where, *G* is the Overall All Grade Point (OGPA) or Cumulative Grade Point Average (CGPA) obtained and *N* is the maximum of the grading scale. For SAUs following numerical grading similar to the one employed by MPUAT, the percentage shall be taken as OGPA multiplied by 10. However, for letter grading on a 10-point scale, it will be determined from "P = 10G - 7.5"

(c) If the university does not give an overall percentage/grade point of all years of a degree, then the average of all years/semesters shall be taken for computation of P or G in the above.

(d) Applicants who had studied under 11th Standard shall be marked for the same under the Sr. Secondary (XII) standard.

(e) Marks will be credited for only one degree at any particular level. For example, applicants having both B.Sc and B.Tech. degrees will be credited for B.Sc. or B.Tech. degree, whichever is relevant for the post advertised. Similarly marks will be credited for only one relevant post-graduation degree.

(f) If division is not awarded by a board/university then 60% shall be taken as first division.

(Priyanka Jodhawat)
REGISTRAR
MPUAT, Udaipur

Maharana Pratap University of Agriculture & Technology,Udaipur-313 001
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,उदयपुर–313 001

क्रमांक– 02/2023

दिनांक – 14.07.2023

विज्ञापन

विश्वविद्यालय में गैर अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न पदों यथा सहायक अभियन्ता (सिविल) तथा सहायक कुल सचिव पर नियुक्ति हेतु online आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विज्ञापन वेबसाईट www.rcaudaipur.com पर उपलब्ध है। आवेदक वेबसाईट www.rcaudaipur.com पर लॉग इन कर दिनांक 17.07.2023 से 17.08.2023 के मध्य online आवेदन कर सकते है। Online आवेदन की अन्तिम तिथि 17.08.2023 रात्रि 12.00 बजे तक रहेगी। निर्धारित समयावधि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। इस विज्ञापन के पश्चात् उपरोक्त पदों पर भर्ती व परीक्षा सम्बन्धित सभी जानकारी वेबसाइट www.rcaudaipur.com पर देखी जा सकेगी। विज्ञापन के संबंध में समाचार पत्रों में और कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जाएगी।

कुलसचिव